

184 24 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यपालकों के 01.01.2007 से वेतनमानों में संशोधन – निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) – निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) को सीपीएसई की एमओयू रेटिंग और अलग-अलग कार्यपालकों के निष्पादन से जोड़ना – के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 1.1.2007 से सीपीएसई में बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 26.11.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध III के पैरा (i) में प्रावधान किया गया है कि निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) को सीपीएसई/यूनिटों के लाभ और कार्यपालकों के निष्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया है।

2. सीपीएसई की एमओयू रेटिंग और अलग-अलग कार्यपालकों की निष्पादन रेटिंग के संदर्भ में पीआरपी के कार्यान्वयन के तरीके द्वितीय वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट के पैरा 6.2.3 (I) (ix) में उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। समिति की रिपोर्ट इस विभाग की वेबसाइट : [www.dpe.nic.in](http://www.dpe.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

3. अलग-अलग कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों को पीआरपी के भुगतान के लिए सीपीएसई द्वारा उपर्युक्त तरीकों का अनुपालन किया जाए।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09, दिनांक 09 फरवरी 2009)

\*\*\*\*\*